फा.सं. 24/1/2019-सामान्य प्रशा.

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

कमरा सं. 221, ब्लॉक सं. 11 एवं 14,
सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003
दिनांक 13 मार्च, 2019

निविदा सूचना

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग "जैसा है, जहाँ है" के आधार पर निम्नलिखित अनुपयुक्त स्टाफ कारों की बिक्री करने का इच्छुक है :

क्र.सं.	स्टाफ कार सं.	मॉडल	निर्मित वर्ष
1.	DL 3CV 0698	Ambassador	2001
2.	DL 3CBV 4261	Maruti SX4	2011

2. तदनुसार, नीचे उल्लिखित निबंधनों एवं शर्तों पर उपरोक्त अनुपयुक्त वाहनों की बिक्री के लिए सीलबंद कोटेशन्स आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक खरीददारों से अनुरोध है कि संलग्न प्रोफार्मा में सीलबंद लिफाफे में अपनी कोटेशन्स, जो अवर सचिव, प्रशासन, कमरा सं. 221, ब्लॉक स. 11, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 को संबोधित हों, अधिकतम **03.04.2019 को दोपहर 1200 बजे** तक भेज दें। कोटेशन्स ब्लॉक सं. 14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली के स्वागत द्वार पर रखी निविदा पेटी में डाल दी जानी चाहिए या वे उपरोक्त समय पर अधोहस्ताक्षरी तक पहुंच जानी चाहिएं। लिफाफे के ऊपर विधिवत रूप से लिखा हो - **"अनुपयुक्त वाहनों की खरीद हेतु कोटेशन्स"**। ये वाहन अनुभाग अधिकारी से फोन सं. 011-24368528 पर संपर्क करने के पश्चात **दिनांक 18.03.2019 से 21.03.2019 तक** निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

3. समय पर प्राप्त कोटेशन्स को **दिनांक 03.04.2019 को अपराह्न 3.30 बजे** कमरा सं-212, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली में खोला जाएगा। निविदाकर्ता या उनके प्रतिनिधि (एक से अधिक नहीं) जो कोटेशन्स खोलने के समय उपस्थित रहने के इच्छुक हों, उपस्थित हो सकते हैं।

4. बिक्री निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के अधीन होगी :
   (i) निविदाकर्ता को प्रति वाहन 5000/- रू. का भुगतान करना होगा।
   (ii) धरोहर राशि का भुगतान डीडीओ, दीपम के पक्ष में किसी भी राष्ट्रियकृत बैंक से डिमांड ड्राफ्ट के रूप में किया जाना अपेक्षित है। धरोहर राशि के बिना प्राप्त कोटेशन्स पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही स्वीकार किया जाएगा। असफल निविदाकर्ताओं को धरोहर राशि शीघ्रातिशीघ्र लौटा दी जाएगी। सफल निविदाकर्ता को धरोहर राशि निविदाकर्ता से डीडीओ,

दीपम के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में भुगतान प्राप्त होने और बिक्री को अंतिम रूप देने के बाद लौटा दी जाएगी।

(iii) अनुपयुक्त स्टाफ कार की डिलीवरी लेने से पहले और पेशकश की स्वीकृति की तारीख से दो दिनों के भीतर सफल निविदाकर्ता को डीडीओ, दीपम के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से डिमांड ड्राफ्ट के रूप में धरोहर राशि का पूरा भुगतान करना होगा।

(iv) नीलाम की गई स्टाफ कारों की डिलीवरी की व्यवस्था तभी की जाएगी जब सफल निविदाकर्ता आवासीय स्थिति के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य (व्यक्ति के मामले में राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस या पते का कोई अन्य वैध प्रमाण और फर्मों आदि के मामले में पंजीकरण प्रमाण पत्र) प्रस्तुत करे।

(v) सफल निविदाकर्ता के लिए नीलाम की गई स्टाफ कारों को सरकार की पेशकश की स्वीकृति की तारीख से दो कार्यदिवसों के भीतर हटाना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रतिदिन 200 रू. (मात्र दो सौ रूपए) का जुर्माना भरना होगा। यदि इन कारों को नीलामी की तारिख से दस दिन के भीतर नहीं हटाया जाता है तो सरकार द्वारा धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा और वाहन(नों) पर उसका कोई दावा नहीं होगा, कारण चाहे जो भी हो।

(vi) सफल निविदाकर्ता परिवहन के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करेगा/करेगी और वह इन गाड़ियों को हटाने के लिए सरकार से किसी सुविधा या सहायता का दावा करने का हकदार नहीं होगा/होगी।

(vii) अनुपयुक्त स्टाफ कारों की पूर्णतः **"जैसा है, जहाँ है"** के आधार पर बिक्री की जाएगी। इन स्टाफ कारों की की बिक्री इस अवधारणा पर की जा रही है कि निविदाकर्ता ने उन कारों की जांच कर ली है जिनकी इस विभाग द्वारा बिक्री की जा रही है और उन्हें पता है कि वे क्या खरीद रहे हैं, चाहे उन्होंने पहले जांच की हो या नहीं। बिक्री के बाद किसी शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा।

(viii) यदि सरकार यह महसूस करती है कि निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तावित उच्चतम दरें तर्कसंगत नहीं हैं तो कोटेशन मंगाकर इन अनुपयुक्त स्टाफ कारों की बिक्री निरस्त मानी जाएगी और निविदाकर्ता को यह मामला भारत के किसी न्यायालय में ले जाने का कोई अधिकार नहीं होगा क्योंकि अनुपयुक्त स्टाफ कारों की बिक्री का निरस्तीकरण भारत सरकार के विवेक पर उसके हित में किया जाएगा।

(ix) यदि निविदाकर्ता उपयुक्त शर्तों में से किसी शर्त के पालन/अनुपालन में स्थिल रहता है या विफल रहता है तो सरकार द्वारा धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।

(x) विभाग के पास किसी/सभी कोटेशन्स को बिना कोई कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

रिज़वानी

(ए.ए.रिजवानी)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 24360163

ऐ. ए. रिज़वानी / A. A. RIZWANI
अवर सचिव / Under Secretary
वित्त मंत्रालय / Ministry of Finance
निवेश और लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग
Deptt. of Investment and Public Asset Management (DIPAM
भारत सरकार, नई दिल्ली / Govt. of India, New Delh

अनुपयुक्त स्टाफ कारों की बिक्री हेतु दरों के प्रस्ताव के लिए प्रपत्र

बोलीदाता का नाम	
पता *	
टेलीफोन नं.	
धरोहर राशि	
डिमाण्ड ड्राफ्ट का विवरण	सं.
	तारीख
	बैंक
	शाखा

* पता पूरा होना चाहिए और उसके समर्थन में प्रमाण दिया जाना चाहिए। बोलीदाता को दिए गए पते तथा टेलीफोन नं. पर संसूचन प्राप्त करने के लिए हमेशा उपलब्ध होना चाहिए।

मैं/हम निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा बिक्री हेतु प्रस्तावित स्टाफ कारों के लिए उच्चतम कोटेशन्स प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं।

क्र.सं.	स्टाफ कार सं.	मॉडल एवं मेक	राशि (रुपये में)
1.			
2.			

मैंने/हमने सभी निबंधनों और शर्तों को पढ़ लिया है और इनका अक्षरशः अनुपालन करने के लिए वचनबद्ध हूँ/हैं। इस पेशकश से उभरने वाले किसी विवाद के संबंध में निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग का निर्णय मेरे/हमारे लिए बाध्यकारी होगा।

स्थान ....

तारीख ....

हस्ताक्षर ....

नाम ....